न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 249/2016

दायर दिनांक–27.10.2016

1. महेश कुमार पुत्र सागर जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. प्रभाती बेवा बनवारीलाल जाति माली निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़।
2. किशोरसिंह पुत्र मूलसिंह
3. महावीर सिंह पुत्र किशोर सिंह
4. रामसिंह पुत्र जसवंत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रतिवादी :– श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत

दावा बाबत : घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व शून्य व बेअसर घोषित करने विक्रय पत्र

–:: निर्णय ::–

दिनांक–30.07.2024

वादीयागण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 440 रकबा 1.10 है0, खसरा नम्बर 533 रकबा 0.10 है0 खसरा नम्बर 534 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 537/1 रकबा 0.04 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.60 है0 स्थित थी। उक्त भूमि के खातेदार मूलचंद, बनवारीलाल, नारू, मोहनलाल, रतनलाल, ओमप्रकाश पुत्रान कालूराम थे जिनका उपरोक्त भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा प्रत्येक का था। खातेदार बनवारी ने खसरा नम्बर 534 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 1.32 है0 में से अपने 1/6 हिस्से रकबा 0.22 है0 में रकबा 0.05 है0 रूकमणी देवी पत्नी मोहन सिंह को तथा रकबा 0.05 है0 प्रतिवादी नं0 4 को विक्रय कर दिया जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हो गयी। तद्उपरांत सह खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन हुआ। विभाजन के तहत भूमि खसरा नम्बर 534/1 रकबा 0.01 है खसरा नम्बर 533/3 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 535/3 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 534/6 रकबा 0.04 है0 खातेदार बनवारीलाल के हिस्से में आई। उपरोक्त खसरा नम्बर 535/3, 534/6 कुल रकबा 0.27 है0 भूमि में से रकबा 0.15 है0 भूमि को खातेदार बनवारीलाल से वादी ने दिनांक 29.05.2003 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया तथा खातेदार बनवारीलाल की मृत्यु होने पर उसकी खातेदारी का इंतकाल संख्या 1100 पत्नी प्रतिवादीया नं0 1 के नाम दर्ज हुआ तथा प्रतिवादी नं0 4 की क्रयशुदा भूमि रकबा 0.05 है0 की भूमि का नामांन्तकरण भी नामांतकरण संख्या 1100 द्वारा खातेदारी प्रतिवादी नं0 4 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड हुई।

भूमि खसरा नम्बर 535/3 के खसरा नम्बर 1908/535 तथा खसरा नम्बर 534/6 के खसरा नम्बर 1905/534 बदले गये जिसमें 0.05 है0 रकबा प्रतिवादी सं0 4 का, रकबा 0.15 है0 वादी का तथा 0.07 है प्रतिवादी नं0 1 का है। इसी प्रकार खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुई जो एक दूसरे के सहखातेदार है जिनका विधिवत विभाजन नही हुआ है, राजस्व रिकॉर्ड शामलाती है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 4 विवादित भूमि को शामिल में ही काश्त करते है व शामिल में ही राजस्व रिकॉर्ड बना हुआ है। जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता सहखातेदार को शामलाती खातेदारी की भूमि के प्रत्येक भाग प्रत्येक इंच को उपयोग उपभोग करने का कानूनन अधिकार होता है।

विवादित भूमि नवलगढ़ से उदयपुरवाटी जाने वाली रोड़ के पास है इसलिए कीमती है जिसके कारण भूमाफियाओ की नजर इस पर पड़ी हुई है। प्रतिवादी नं0 1 की नियत अपने पति के मरणोपरांत खराब हो गई तथा वादी के साथ कब्जे काश्त को लेकर विवाद करती रही है तथा विवादित भूमि के

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

कीमती व विशिष्ट भाग पर कब्जा करने पर अमादा रही है। साथ ही प्रतिवादी नं0 1 को कुछ असामाजिक व भूमाफियाओं का समर्थन प्राप्त है जिनकी नियत विवादित भूमि को हड़पने की रही है ताकि विवादित भूमि के विशिष्ट भाग पर कब्जा कर सके इसी उददेश्य की प्राप्ति में प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 2 किशोर सिंह के पक्ष में एक विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2008 को तस्दीक करवा दिया। प्रतिवादी नं0 1 ने शामलाती खातेदारी की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भाग दिशा विशेष व नाप दर्शाकर प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में एक नुमायशी विधि विरूद्व विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जिसमें कब्जे का आदान प्रदान नही हुआ है। प्रतिवादी नं0 1 ने वादी की शामलाती खातेदारी की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भाग का विक्रय पत्र प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में तस्दीक करवाया है। जो वादी के हक अधिकारों के विरूद्व एबीनिसियों वोईड है जिसकी कानूनन कोई अहमियत नही है। शून्य घोषित होने योग्य है परन्तु प्रतिवादी नं0 2 प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने पटवारी व सरपंच से मिलकर उक्त शून्य दस्तावेज के आधार पर नामांतकरण तस्दीक करवा लिया है। पटवारी हल्का व सरपंच ने भी कानून को ताक पर रखकर विधि विरूद्व रूप से तस्दीक हुये विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही की है और उसका बैजा फायदा उठाकर प्रतिवादी नं0 2 ने शुन्य दस्तावेज के आधार पर दिनांक 4.12.2009 को एक उपहार पत्र प्रतिवादी नं0 3 के पक्ष में तस्दीक दिया। प्रतिवादी नं0 2 ने शून्य दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी नं0 3 के पक्ष में तस्दीक करवाया है। इसलिए प्रतिवादी नं0 3 के पक्ष में तस्दीक करवाये गये उपहार पत्र भी प्रारम्भतः शून्य है। इसलिए प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में दिनांक 10.04.2008 को विवादित भूमि के संबंध में बिना विधिवत विभाजन करवाये निश्चित भूभाग का विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है तथा प्रतिवादी नं0 2 द्वारा उक्त शून्य विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी नं0 3 के हक में दिनांक 04.12.2009 को उपहार पत्र तस्दीक करवाया है उसे वादी के हक अधिकारों पर शून्य बेअसर घोषित किया जावे जिसके लिए उक्त वाद पेश किया है।

दिनांक 23.10.2016 को प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 ने वादी को धमकी दी कि विवादित भूमि में तुम्हारे हिस्से की भूमि पर भी कब्जा करेगे, रास्ता डालकर सरपंच से मिलकर पुख्ता सडक डालेंगे तथा विवादित भूमि पर आवासीय व वाणिज्यक कॉलोनी विकसित करेगे जिसका प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को कोई अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे है। वादी के हक अधिकार की भूमि पर तकात व लठ के बल पर कब्जा करना चाहते है भूमि के विशिष्ट भाग पर निर्माण कार्य करके निश्चित भू भाग को हड़पना चाहते है वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी पैदा कर रहे है इसलिए प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना निहायत जरूरी व आवश्यक है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 1905/534 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1908/535 रकबा 0.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है0 के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे। वादी को उसके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवे। वादी की भूमि पर ताकत व लठ के बल पर कब्जा नही करे। वादी को बेदखल नही करे गलत व विधि विरूद्व विक्रय पत्र की आड़ में शामलाती अविभाजित विवादित भूमि के विशिष्ट व कीमत भाग पर कब्जा नही करे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे। किसी प्रकार की आवासीय कॉलोनी को विकसीत नही करे। सड़क वगैरह नही डाले, कृषि भूमि के गैर कृषि कार्य के उपयोग मे नही लेवे किसी प्रकार का हस्तांतरण का विलेख निष्पादित नही करवाये, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2008 व प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्रतिवादी नं0 3 के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र दिनांक 4.12.2009 को वादी के हक अधिकारों पर बेअसर, शून्य, एबीनिसियों वोइड करार दिया जावे, इस आश्य की घोषणा की जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर से पेश जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:–

वाद पत्र में दर्ज भूमि के बाबत जबाबदेहंदा को जानकारी नही है। उक्त भूमि के खातेदार कालू के पूत्र/पुत्रियां है या नही इसकी जानकारी जबाबदेहंदा को नही है। यह स्वीकार है कि उक्त भूमि में बनवारी पूत्र कालू की हिस्सेदारी थी व पहले बनवारी व उसकी मृत्यु के बाद बनवारी की विधिक वारिसान प्रभाती अपने हिस्से पर कब्जा काश्त रही व प्रभाती के हिस्से की भूमि जिसको वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। खसरा नम्बर 1900/533 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1905/534 करबा 0.04 है0 में से ही जबाबदेहंदा प्रतिवादी नं0 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया व उक्त भूमि को आज

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

भी काश्त करते है व काबिज है। यह तथ्य अस्वीकार है कि उक्त भूमि में 0.07 है0 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 की हो जबकि सही बात यह है कि उक्त भूमि बाद क्रय विधिक दस्तावेज क`राजस्व रिकॉर्ड में आज भी प्रतिवादी नं0 3 के नाम दर्ज है व प्रतिवादी नं0 3 उक्त भूमि पर मय परिवार आबाद है व जिसको वादी ने विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित कर कोर्ट को सही रिकॉर्ड की जानकारी न देकर कोर्ट को गुमराह करे का प्रयास किया है। जबाब दावा के साथ सही राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी पेश है।

वाद पत्र में दर्ज भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 4 की शामलाती काश्तकारी की भूमि थी इसकी जानकारी जबाबदेहंदा को नही है। यह सही है कि पैत्रिक भूमि के आधार पर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 को प्राप्त हुई व उसने अपने हिस्से की भूमि को आवश्यकता होने पर वर्ष 2008 मे जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादी नं0 2 को विक्रय किया व फिर प्रतिवादी नं0 2 ने जरिये उपहार पत्र प्रतिवादी नं0 3 को उपहार में दी व अपनी खरीदशुदा भूमि पर प्रतिवादी नं0 2 व 3 भी कब्जा काश्त है व रिकोर्डेड खातेदार है।

वादी ने वाद पत्र में हिस्सेदारियां गलत दर्ज की है। यह बात अस्वीकार है कि 0.07 है0 प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा हो बल्कि सही बात यह है कि उक्त खाते में प्रतिवादी नं0 1 का कोई हिस्सा नही है बल्कि प्रतिवादी नं0 1 से बाद खरीद जबाबदेहंदा का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है व उसी एक भाग पर प्रतिवादी नं0 4 का कब्जा काश्त है। तथा जबाबदेहंदा अपनी भूमि पर आने जाने हेतु सड़क से रास्ता बना रखा है। उक्त रास्ते की भूमि भी जबाबदेहंदागण की है बाकी भूमाफिया के संबंध में दर्ज की गइ बातों की जबाबदेहंदा को कोई जानकारी नही है व जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रतिवादी नं0 1 ने अपनी कब्जा काश्त भूमि का विधिक दस्तावेज कानूनन व नियमानुसार प्रतिफल प्राप्त कर सही प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में तस्दीक करवाया है व विक्रय पत्र तस्दीक होने होने के रोज ही उक्त भूमि का आदान प्रदान हो गया व खरीदशुदा अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है। विधि सम्मत तस्दीक हुआ दस्तावेज वादी के अधिकारों के विरूद्व न होकर कानून सम्मत दस्तावेज है व उसी के आधार पर राजस्व कर्मचारियों ने जबाबदेहंदा के नाम से खातेदारी दर्ज की है जो विधिसम्मत है।

दिनांक 10.04.2008 का विक्रय पत्र व दिनांक 04.12.2009 को तस्दीक उपहार पत्र विधि सम्मत दस्तावेज है जो उप पंजीयक ने जांच के बाद विधिक रिकॉर्ड के आधार पर तस्दीक किये है। जिसका वादी से कोई लेना देना नही है। उसी दस्तावेजात के आधार पर जबाबदेहंदागण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है व बाद खरीद अपनी भूमि पर कब्जा काश्त मय परिवार आबाद है। जबाबदेहंदागण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्व कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इसलिए वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा ही गलत पेश किया है जो इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त उत्तर

प्रतिवादिया नं0 1 परिवार की कर्ता खानदान है कर्ता खानदान द्वारा अपनी जायज आवश्यकताओं की पूर्ति बाबत करवाया गया विक्रय पत्र शून्य न होकर शून्य करणीय होता है इसलिए वादी जब तक सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय से प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में करवाया गया विक्रय पत्र व प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्रतिवादी नं0 3 के पक्ष में करवाया गया उपहार पत्र निरस्त नही करवा लेता तब तक किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है ना ही न्यायालय को उक्त वाद सुनने का क्षैत्राधिकार है। इसलिए वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी नं0 3 भूमि का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त है वादी ने वाद पत्र के माध्यम से बेदखली की इस्तदुआ चाही है इसलिए रिकार्डेड खातेदार काश्तकार कब्जाधारक के विरूद्व बिना बेदखली के स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इसलिए वाद खारिज किया जावे।

वादी ने वाद पत्र के माध्यम से विभाजन की इस्तदुआ भी नही चही है जबकि कर्ता के जीवनकाल में विभाजन की इस्तदुआ के वगैर घोषणा का वाद पोषणीय नही है।

अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वाद के पैरा नम्बर 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम झाझड़ में स्थित वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 4 की शामलाती खातेदारी काश्तकारी की भूमि के संबंध में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

2. आया वाद के पैरा नम्बर 3 के अनुसार प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र तथा प्रतिवादी नं0 2 ने प्रतिवादी नं0 3 के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र विधि विरूद्व होने के कारण शून्य घोषित होने योग्य है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) गंगानगर

3. आया वादीगण निष्पादित विक्रय पत्र व उपहार पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा लेते तब तक किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है इसलिए वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। भा.स.वादी

4. आया वाद पत्र की धारा 3 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का हिस्सा 0.07 है0 पर प्रतिवादी नम्बर 3 मय परिवार आबाद है जिसके विरूद्व बिना बेदखली स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इसलिए दावा खारिज होने योग्य है। भा.स.प्रतिवादी नं0 2 व 3

5. दादरशीः– भा.स.प्रतिवादी नं0 2 व 3

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत उप। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु महावीर तथा महेश के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 महेश कुमार पुत्र सागर का चीफ का सपथ पत्र प्रदर्श 2 महाबीर प्रसाद पुत्र नारायण का चीफ का सपथ पत्र प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत् 2067–2070 प्रदर्श 4 विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2003 प्रदर्श 5 विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2008 आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि शामलाती खातेदारी की अविभाजित भूमि है। बिना विभाजन के अगर विशेष भू भाग को विक्रय किया जाता है तो वह शून्य प्रभावी दस्तावेज माना जाता है। विक्रय पत्र के आधार पर उपहार पत्र किया गया है अतः वह भी शून्य है। अतः दोनों दस्तावेज को शून्य घोषित कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। वादी ने वाद पत्र पेश कर मुख्य अनुतोष विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2008 तथा उपहार पत्र दिनांक 4.12.2009 को शून्य घोषित करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2008 तथा प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्रतिवादी नं0 3 के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र दिनांक 4.12.2009 उक्त दोनों रजिस्टर्ड दस्तावेज है। न्यायालय हाजा को उक्त रजिस्टर्ड उपहार पत्र को निरस्त/शुन्य घोषित करने का क्षैत्राधिकार नही है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजात् की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 02 ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया था तथा उक्त भूमि के रिकोर्डेड खातेदार है। रिकॉडेर्ड खातेदार तथा सहखातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

54

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 249 / 2016 **(महेश बनाम प्रभाती आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.07.2024 को जारी की।

30/7/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

सहायक कलक्टर एवं पदेन कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) नवलगढ

मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	0.00
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		